परिशिष्ट-IV

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए स्क्राइब और/ प्रतिपूरक समय दिशानिर्देश

स्क्राइब की अनुमति दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 01 अगस्त 2025 को जारी कार्यालय ज्ञापन फाइल संख्या पी-13013/75/2023-पॉलिसी-डीडी-III के अनुसार जारी दिशानिर्देशों के अनुसार दी जाएगी।

2. ये दिशानिर्देश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) के अंतर्गत दिव्यांगजन के रूप में परिभाषित सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे। हालाँकि, लिखित परीक्षा के दौरान सहायता अर्थत् स्क्राइब की सुविधा उन सभी उम्मीदवारों को प्रदान की जा सकती है, जो अपनी दिव्यांगता के कारण, अपनी दिव्यांगता की प्रकृति या सीमा पर ध्यान दिए बिना, परीक्षा लिखने में कार्यात्मक अक्षमताओं का सामना करते हैं। इसमें लिखने में शारीरिक अक्षमता, पढ़ने या लिखने में अक्षम करने वाली दृष्टिबाधितता, समझ या अभिव्यक्ति को प्रभावित करने वाली बौद्धिक अक्षमताएँ, या कोई अन्य दिव्यांगता जो परीक्षा प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से भाग लेने की उनकी क्षमता में अक्षमता पैदा करती है, जैसा कि उक्त दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित है, शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

ऐसे सभी मामलों में जहां स्क्राइब की सुविधा का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

- उम्मीदवार को अपने खर्चे पर स्वयं स्क्राइब की व्यवस्था करनी होगी।

- दृष्टिबधिता, चलन दिव्यांगता (केवल दोनों बांह की) और मस्तिष्क पक्षाघात की श्रेणी में आने वाले दिव्यांगजनों के मामले में, यदि व्यक्ति चाहे तो, परिशिष्ट-IX में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र/यूडीआईडी कार्ड प्रस्तुत करने पर स्क्राइब की सुविधा दी जाएगी, जिसके लिए किसी भी चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

- अन्य सभी विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं के मामले में अर्थात दृष्टिबाधिता, चलन में दिव्यांगता (दोनों बाँह प्रभावित-केवल बीए) और सेरेब्रल पाल्सी को छोड़कर, स्क्राइब/प्रतिपूरक समय की सुविधा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी कि संबंधित व्यक्ति को विनिर्दिष्ट दिव्यांगता के कारण लिखने में कार्यात्मक अक्षमता है और इसलिए, उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए एक स्क्राइब आवश्यक है। प्रमाण पत्र, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 01 अगस्त 2025 को जारी कार्यालय ज्ञापन एफ.सं. पी-13013/75/2023-पॉलिसी-डीडी-III के अनुसार उचित चिकित्सा परीक्षण के बाद, किसी सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा परिशिष्ट-IX में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार जारी किया जाना है।

- यदि कोई उम्मीदवार आवेदन पत्र भरने के बाद किसी घटना के कारण होने वाली विकलांगता के बारे में बताता है, तो वह व्यक्ति परिशिष्ट-IX में वैध विकलांगता प्रमाण पत्र और मेडिकल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बाद, उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार उचित सुविधा प्राप्त कर सकता है।

- उम्मीदवारों को अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र/यूडीआईडी कार्ड/ परिशिष्ट-IX, जैसा भी लागू हो, ऑनलाइन लिंक पर अपलोड करना होगा।

- परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को परिशिष्ट-X में दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने स्वयं के स्क्राइब की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा, पद के लिए आवेदन करते समय भी स्क्राइब की जानकारी देनी होगी।

- स्क्राइब की अर्हता उस परीक्षा में उपस्थित होने के लिए न्यूनतम अर्हता से कम से कम "**दो शैक्षणिक वर्ष नीचे**" और अधिकतम **"तीन शैक्षणिक वर्ष नीचे"** होनी चाहिए। उदाहरणत: यदि पद के लिए उपस्थित होने की न्यूनतम अर्हता स्नातक है, तो स्क्राइब की योग्यता स्नातक के पहले शैक्षणिक वर्ष (3 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए) में हो सकती है, लेकिन 12वीं कक्षा से कम नहीं होनी चाहिए।

- ऑनलाइन परीक्षा में स्क्राइब के रूप में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों को परीक्षा के समय शैक्षणिक अर्हता के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

- स्क्राइब निष्पक्ष व्यक्ति होने चाहिए तथा उनमें किसी प्रकार का हितों का टकराव नहीं होना चाहिए, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित हो।

- स्क्राइब की सहायता लेने वाले उम्मीदवारों को स्क्राइब से केवल उसी भाषा में संवाद करना होगा, जिसे उन्होंने परीक्षा लिखने के माध्यम के रूप में आवेदन पत्र (अपना स्क्राइब प्रोफार्मा/ऑनलाइन आवेदन) में चुना है। स्क्राइब किसी भी शैक्षणिक क्षेत्र से हो सकता है।

- उम्मीदवार और स्क्राइब दोनों को एक उपयुक्त वचनपत्र देना होगा जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि स्क्राइब ऊपर उल्लिखित स्क्राइब के लिए निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। इसके अलावा, यदि बाद में यह पता चलता है कि उसने कोई निर्धारित पात्रता मानदंड पूरा नहीं किया है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया है, तो परीक्षा परिणाम चाहे जो भी हो, आवेदक की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

- ऑनलाइन आवेदन के समय या परीक्षा के समय या किसी भी स्तर पर प्रस्तुत घोषणा पत्र में उम्मीदवार/स्क्राइब के बारे में जानबूझकर गलत जानकारी देने पर उम्मीदवार और स्क्राइब को बैंक/बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग लेने से स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विवर्जित किया जा सकता है।

- ऐसे उम्मीदवार जो स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने के पात्र हैं, उन्हें परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का प्रतिपूरक समय की सुबिधा दिया जाएगा, चाहे वे स्क्राइब की सुविधा का लाभ उठा रहे हों या नहीं।

- समय के महत्व को देखते हुए, चूंकि परीक्षा एक प्रतियोगी प्रकृति की है, उम्मीदवार को बैंक के चिकित्सा अधिकारी को पूरी तरह से संतुष्ट करना होगा कि उसे स्क्राइब की आवश्यकता है, क्योंकि उसे लिखने में शारीरिक रूप से कुछ अक्षमताएं हैं, जिसमें दिव्यांगता के कारण गति की अक्षमता भी शामिल है, जैसा कि स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने वाले दिव्यांगजनों के संबंध में दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है।

- जो उम्मीदवार परीक्षा में स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय की सेवाएँ लेने के लिए पात्र हैं और इच्छुक हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में इसका उल्लेख अवश्य करना चाहिए। इसके बाद किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

- उम्मीदवार द्वारा नियोजित स्क्राइब भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन परीक्षा के लिए उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा नियोजित स्क्राइब इस भर्ती प्रक्रिया के लिए उम्मीदवार नहीं है। यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उपरोक्त नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो उम्मीदवार और स्क्राइब दोनों की इस भर्ती के लिए उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

- एक स्क्राइब उपर्युक्त भर्ती प्रक्रिया के लिए केवल एक उम्मीदवार के लिए ही स्क्राइब के रूप में कार्य कर सकता है। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा नियुक्त स्क्राइब केवल उसके लिए ही स्क्राइब के रूप में कार्य कर रहा है, न कि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए किसी अन्य उम्मीदवार के लिए। यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में इसका उल्लंघन पाया जाता है, तो भर्ती प्रक्रिया के लिए उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और स्क्राइब को बैंक/बोर्ड द्वारा आयोजित भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

- केवल ऑनलाइन आवेदन के समय प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत उम्मीदवारों को ही ऐसी रियायतें दी जाएँगी क्योंकि उम्मीदवारों को दिया जाने वाला प्रतिपूरक समय प्रणाली आधारित होगा। यदि उम्मीदवार इसके लिए पंजीकृत नहीं है, तो परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के लिए ऐसा समय देना संभव नहीं होगा। प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत न होने वाले उम्मीदवारों को ऐसी रियायतें नहीं दी जाएँगी।

- परीक्षा के दौरान, किसी भी चरण में, यदि यह पाया जाता है कि स्क्राइबस्वतंत्र रूप से प्रश्नों के उत्तर दे रहा है या किसी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष तरीके से उत्तर देने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। स्क्राइब की सेवाएँ लेने वाले ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी यदि परीक्षा के बाद परीक्षा प्रशासक द्वारा यह रिपोर्ट दी जाती है कि स्क्राइब ने स्वतंत्र रूप से प्रश्नों के उत्तर दिए हैं या किसी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष तरीके से उत्तर देने के लिए प्रेरित किया है। ऐसे मामलों में, उम्मीदवार और स्क्राइबको बैंक/बोर्ड द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं से स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है।

- उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा नियुक्त स्क्राइब को बैंक/बोर्ड द्वारा आयोजित किसी भी भर्ती परीक्षा में किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए उम्मीदवार या स्क्राइब के रूप में प्रतिबंधित न किया गया हो। साथ ही, जिन स्क्राइब को बैंक/बोर्ड द्वारा आयोजित किसी भी भर्ती परीक्षा में किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जा चुका है, वे इस अधिसूचना के अंतर्गत किसी भी पद के लिए उम्मीदवार के रूप में आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

- बैंक/बोर्ड को यह अधिकार है कि वह वंचित उम्मीदवारों/स्क्राइबों की सूची अन्य भर्ती एजेंसियों के साथ उनकी जानकारी के लिए साझा कर सकता है।

- कोई भी उम्मीदवार जो स्क्राइब/प्रतिपूरक समय का उपयोग कर रहा है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह परीक्षा में स्क्राइब/प्रतिपूरक समय की सेवाओं का उपयोग करने के लिए पात्र है और स्क्राइब की पात्रता कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार होनी चाहिए।

- कोई भी उम्मीदवार जो दिशानिर्देशों के अनुसार स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ऑनलाइन परीक्षा में स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय का उपयोग करता है, उसे भर्ती प्रक्रिया में आगे भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

- यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि स्क्राइब की अर्हता उम्मीदवार द्वारा घोषित योग्यता के अनुरूप नहीं है तथा परीक्षा के लिए निर्धारित अर्हता से अधिक है, तो ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

- यदि यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार ने उपरोक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए स्क्राइब का उपयोग किया है तो उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तथा यदि वह पहले से ही बैंक में कार्यरत है तो उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है।

टिप्पणी:

- ये दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों/स्पष्टीकरणों, यदि कोई हो, के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं।